-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 28.06.2026

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

- **थाना जसपुरा पुलिस द्वारा गेहूं की घटतौली कर किसानों/व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करते हुए अवैध खरीद-बिक्री करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।**
- **अभियुक्तों के कब्जे से धोखाधड़ी से खरीदे गये 94 कुंतल गेहूं व गेहूं की बिक्री एवं जामा तलाशी के कुल 2.57 लाख रुपए नकद, घटना/परिवहन में प्रयुक्त एक चारपहिया वाहन व डीसीएम सहित अवैध तमंचा आदि बरामद।**
- **अभियुक्तों द्वारा दिनांक 25.06.2026 को थाना जसपुरा क्षेत्र के झंझरी पुरवा में किसानों द्वारा गेहूं की घटतौली का विरोध करने पर, जान से मारने की नियत से उनके ऊपर अवैध तमंचे से फायर कर हो गए थे फरार।**

विवरण- पुलिस अधीक्षक बांदा श्री पलाश बंसल के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण लगाये जाने तथा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु की जा रही कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा श्री शिवराज के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सदर श्री सौरभ सिंह के नेतृत्व में थाना जसपुरा पुलिस द्वारा गेहूं की घटतौली कर किसानों/व्यापारियों के साथ धोखाधड़ी करते हुए अवैध खरीद-बिक्री करने वाले अन्तर्जनपदीय गिरोह के 07 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गौरतलब हो कि थाना जसपुरा क्षेत्र के ग्राम झंझरी पुरवा के रहने वाले राजेन्द्र सिंह पुत्र बृजमोहन ने दिनांक 26.06.2026 को थाना जसपुरा पर सूचना दी कि उनके व गांव के ही एक अन्य व्यक्ति द्वारा बाहर से आये व्यापारियों को बेचा था जिसमें उनके द्वारा इलेक्ट्रानिक तराजू में छेड़छाड़ कर घटतौली करते हुए उनके ज्यादा गेहूं खरीद लिये। घटतौली की शंका होने पर दूसरे तराजू से वजन करने पर गेहूं ज्यादा पाया गया जिसके बाद किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया तो उनके द्वारा अवैध तमंचे से फायर करते हुए वहां से भाग गए। सूचना पर तत्काल थाना जसपुरा में अभियोग पंजीकृत करते हुए। तत्काल अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में थाना जसपुरा पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि झंझरी पुरवा मार्ग एक चारपहिया वाहन में कुछ संदिग्ध व्यक्ति मौजूद है। सूचना पर तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर जाकर घेराबन्दी करते हुए कुल 07 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गई तो एक अभियुक्त अतीक उर्फ अकील पुत्र अब्दुल बहाव निवासी लाल सराय कस्बा व थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर के कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस बरामद हुआ। साथ ही अन्य सभी अभियुक्तों व वाहन की तलाशी ली गई उनके पास से कुल 02 लाख 57 हजार 300 रुपए नकद, एक इलेक्ट्रानिक तराजू तथा मोबाइल फोन आदि बरामद हुए। कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि सभी आपस में साथी है तथा हम लोगों का काम घटतौली करके गेहूं खरीदने/बेचने का संगठित गिरोह है। वे सभी इसी चारपहिया वाहन से बांदा के विभिन्न क्षेत्रों तथा आस-पास के जनपदों गेहूं बेचने वाले किसानों के साथ छल-कपट, धोखाधड़ी एवं बेईमानी से इलेक्ट्रॉनिक तराजू के नीचे पैर अथवा अन्य तरीके से दबाव डालकर वास्तविक वजन को कम कर देते थे, जिससे प्रत्येक खरीद में कई कुंतल गेहूं की घटतौली कर अवैध रुप से लाभ कमाते थे। दिनांक 25.06.2026 को इसी क्षेत्र में किसानों के साथ घटतौली की धोखाधड़ी किया था जिसमें किसानों को किसी तरह घटतौली की जानकारी हो गई और उनके द्वारा अगले दिन धर्मकांटा पर वजन कराया गया तो गेहूं ज्यादा निकला इसी बात पर किसान भड़क गए तथा अतिरिक्त गेहूं के पैसे मांगने लगे। फिर हम सभी आपस में राय करके डीसीएम सहित गेहूं लेकर भागने के लिए किसानों को जान से मारने की नियत से अवैध तमंचे से फायर कर चारपहिया में बैठकर भाग गए थे। जनपद के अन्य थानों से जानकारी करने पर पाया गया कि अभियुक्तों द्वारा किए गए इस तरह की गेहूं घटतौली की धोखाधड़ी की घटना के सम्बन्ध में थाना पैलानी और कोतवाली देहात में भी अभियोग पंजीकृत किया गया है। पुलिस द्वारा

अभियुक्तों से गहन पूछताछ एवं विस्तृत जांच की जा रही है कि इनके द्वारा जनपद बांदा सहित अन्य किन-किन जनपदों में किन-किन स्थानों पर गेहूं एवं अन्य खाद्यान्नों की खरीद के दौरान घटतौली कर धोखाधड़ी की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। साथ ही अभियुक्तों के आपराधिक इतिहास, उनके अन्य सहयोगियों तथा इस गिरोह के नेटवर्क आदि के संबंध में भी जानकारी की जा रही है। साथ ही इनके अन्य संभावित आपराधिक गतिविधियों के संबंध में भी जांच की जा रही है।

बरामदगी-

- 02 लाख 57 300 रुपए नकद (गेहूं की घटतौली करके उनकी बिक्री एवं जामा तलाशी के)
- 94 कुंतल गेहूं (घटतौली करके खरीदा गया)
- 01 चारपहिया वाहन बलेनो (घटना/आवागमन/परिवहन में प्रयुक्त)
- 01 डीसीएम (घटना/परिवहन में प्रयुक्त)
- 01 अवैध तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिंदा कारतूस (घटना में प्रयुक्त)
- 01 इलेक्ट्रानिक तराजू (गेहूं की घटतौली में प्रयुक्त)
- 07 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मो0 अतीक उर्फ अकील पुत्र अब्दुल बहाव निवासी लाल सराय कस्बा व थाना बढ़ापुर जनपद बिजनौर।
2. जमील पुत्र अमीर निवासी गौसपुर सादाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
3. कलीम पुत्र अब्दुल मजीद निवासी सदावाद थाना हीमपुर दीपा जनपद बिजनौर।
4. नवील अहमद पुत्र मो0 इसरार निवासी मडौली सैदू थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5. मो0 मुकीम पुत्र बुन्दू निवासी गौसपुर सादाद थाना कोतवाली देहात जनपद बिजनौर।
6. मो0 जासिद पुत्र मो0 घसीटा निवासी फरीदपुर भोगन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
7. मो0 शाकिव पुत्र मो0 शरीफ निवासी फरीदपुर भोगन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0- 99/26 धारा 318(4)/109(1)/351(3)/3(5)/317(2) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना जसपुरा जनपद बांदा।
2. मु0अ0सं0- 142/26 धारा 61(2)/318(4)/317(2) बीएनएस व 30 वि0माप0वि0 अधि0 थाना पैलानी जनपद बांदा।
3. मु0अ0सं0- 174/26 धारा 318(4)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली देहात जनपद बांदा

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. श्री ऋषिदेव सिंह प्र0नि0 थाना जसपुरा
2. वरि0उ0नि0 प्रेमपाल सिंह
3. कां0 आनन्द तिवारी
4. कां0 जितेन्द्र कुमार
5. कां0 राजकुमार बिन्द
6. कां0 कृष्ण मुरारी
7. कां0 अविनाश उपाध्याय
8. कां0 बसन्त लाल यादव
9. कां0 अनिल पाल